

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन  
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक/  
प्रति,

आउशि/श-13/राम्ब/07

भोपाल, दिनांक

मार्च 2007

मुख्य सचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय,  
ग्वालियर (म.प्र.) ।

विषय:- मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 24 (घर) तथा 26 (एक) (पांच) के अंतर्गत अनुमति-नदीन अक्षराकीट-सोनली महाविद्यालय, गुना ।  
संदर्भ:- संस्था का आवेदन क्रमांक 08/07 दिनांक 09/4/07 ।

विषयान्तर्गत संस्था का नाम सोनली पब्लिक शिक्षा समिति, गुना द्वारा प्रस्तावित नदीन अक्षराकीट सोनली महाविद्यालय, गुना में सत्र 2007-08 से निम्न नदीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति निम्न शर्तों पर दी जाती है:-

1. बी.एड.

शर्त:- संस्था द्वारा निम्न शर्तों का पालन करने से की जावे :-

1. सम्बद्धता के लिये आवेदन करने के पूर्व संस्था को एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त करना होगी ।
  2. पुस्तकें एवं उपकरण आदि संरचना पूर्ण करनी होगी और एन.सी.टी.ई. और विश्वविद्यालय द्वारा पूर्ति के तत्पश्चात् के उपरांत ही यह अनुमति मान्य होगी ।
  3. संस्था द्वारा दी गई जानकारी यदि भविष्य में गलत पायी जाती है तो यह अनुमति स्वयंसेवक शून्य मानी जावेगी ।
  4. संस्था द्वारा नदीन महाविद्यालय हेतु निर्धारित शुल्क रुपये एक लाख 15 दिन के अंदर बालाज द्वारा जमा कर बालाज की मूल प्रति आयुक्त कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी । उसके उपरांत ही यह अनुमति अंतिम मानी जावेगी । अन्यथा यह अनुमति स्वयंसेवक निरस्त मानी जावेगी ।
2. उक्त पाठ्यक्रम वि०वि० द्वारा अनुमोदित नहीं होने की स्थिति में यह अनुमति मान्य नहीं होगी ।
3. अक्षराकीट महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत रहेंगे । संस्था से एन.सी.टी.ई. से संबंधित मापदण्ड पूर्ण करने का दायित्व एन.सी.टी.ई. एवं विश्वविद्यालय की होगी ।

(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डा० राधा बल्लभ शर्मा )

अतिरिक्त संचालक

उच्च शिक्षा, म.प्र., भोपाल

भोपाल, दिनांक 15/03/2007

पृ०क्रमांक / 2/N/1 /आउशि/श-13/राम्ब/07

1. प्रमुख सचिव, न.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
2. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानव भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल । संस्था को उपरोक्तानुसार पाठ्यक्रम के संचालित करने की अनुमति दी जाती है ।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, ग्वालियर-घंवल संभाग, ग्वालियर ।
4. प्रधान, (अ.प्र.) अक्षराकीट जीवाजी महाविद्यालय, गुना ।
5. अध्यक्ष, सोनली पब्लिक शिक्षा समिति, गुरुद्वारा रोड़, गुना ।

सहायक संचालक  
उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश